न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 215 / 2023

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. धुड़ाराम पुत्र वीराराम
2. वगाराम पत्र वीराराम

जातियान कुम्हार निवासीयान धूड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अशोककुमार पुत्र अणदाराम 25 वर्ष
2. आम्बाराम पुत्र अमराराम उम्र 60 वर्ष
3. आम्बाराम पुत्र आदाराम उम्र 45 वर्ष
4. कालीदेवी पत्नि अणदाराम उम्र 53 वर्ष
5. खीमाराम पुत्र अणदाराम उम्र 35 वर्ष
6. गोबाराम पुत्र शंकराराम उम्र 42 वर्ष
7. जुगताराम पुत्र आदाराम उम्र 40 वर्ष
8. जैताराम पुत्र मोमताराम उम्र 40 वर्ष
9. जबराराम पुत्र मोमताराम उम्र 50 वर्ष
10. नेनाराम पुत्र आदाराम उम्र 44 वर्ष
11. परबूराम पुत्र पुरखाराम उम्र 70 वर्ष
12. बुधाराम पुत्र मोमताराम उम्र 45 वर्ष
13. नेमाराम पुत्र धनाराम उम्र 30 वर्ष
14. बाबूराम पुत्र धनाराम उम्र 28 वर्ष
15. मेराराम पुत्र धनाराम उम्र 33 वर्ष
16. मोहनराम पुत्र धनाराम उम्र 35 वर्ष
17. सटीदेवी पत्नि धनाराम उम्र 53 वर्ष

जातियान् कुम्हार (प्रजापति) निवास धुड़िया [illegible] सिणधरी जिला बालोतरा।

18. [illegible] पुत्र [illegible]राम उम्र 35 वर्ष
19. दूदाराम पुत्र [illegible]राराम उम्र 70 वर्ष
20. लछमणा पुत्र केशराराम उम्र 53 वर्ष

जातियान् भील निवास धुड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

21. बाबुराम पुत्र भलाराम वयस्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:13 IST
Reason: SelfAttested

24 सूजाराम पुत्र मलाराम जाति जाट कलबी निवासी धूड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

25. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनीवाल, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा पटवार मण्डल जूनामीठाखेड़ा, धूड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 443 व 443/2 रकबा क्रमशः 2.8639 व 1.9901 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा पटवार मण्डल जूनामीठाखेड़ा, धूड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 443 व 443/2 रकबा क्रमशः 2.8639 व 1.9901 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:13 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया [illegible] रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील [illegible] को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके [illegible] एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा पटवार मण्डल जूनामीठाखेड़ा, धूड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 443 व 443/2 रकबा क्रमशः 2.8639 व 1.9901 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के

जूनामीठाखेड़ा, धूड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 443 व 443/2 रकबा क्रमशः 2.8639 व 1.9901 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा पटवार मण्डल जूनामीठाखेड़ा, धूड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 443 व 443/2 रकबा क्रमशः 2.8639 व 1.9901 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पटवार मण्डल जूनामीठाखेड़ा, धूड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 443 व 443/2 रकबा क्रमशः 2.8639 व 1.9901 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी